न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास। (1)

द0प्र0सं0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम0पी0 वाद संख्या–362/2019

प्रथम पक्ष :–1. अनिल वरण ठाकुर उर्फ सुनिल ठाकुर 2. निधिर ठाकुर 3. कैलाश ठाकुर 4. किष्टो ठाकुर सभी पिता– स्व0 संतोष ठाकुर, 5. कुन्दन ठाकुर पिता– अनिल वरण ठाकुर उर्फ सुनिल ठाकुर 6. धनन्जय ठाकुर 7. राजा ठाकुर दोनों पिता– कैलाश ठाकुर 8. प्रवीण ठाकुर पिता– निधिर ठाकुर सभी सां0 पोलकिरी थाना चन्दनकियारी (भोजुडीह) जिला बोकारो 9. विशाल पाण्डेय सा0 बलिया थाना+ जिला चतरा हा0मो0 पोलकिरी थाना चन्दनकियारी (भोजुडीह) जिला बोकारो।

–: बनाम् :–

द्वितीय पक्ष :–1. तुलसी ठाकुर पिता स्व0 महाबीर ठाकुर सा0 पोलकिरी थाना चन्दनकियारी (भोजुडीह) जिला बोकारो।

कार्यवाही

थाना प्रभारी भोजुडीह ओ0पी0 के अप्राथमिकी संख्या–11/2019 जो पुलिस निरीक्षक चन्दयनकियारी अंचल बोकारो के माध्यम से अग्रसारित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनो पक्षों के बीच भूमि को लेकर विवाद है। जिससे विधि–व्यवस्था भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने दोनों पक्ष के विरूद्ध द0प्र0स0 की धारा 107 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति–व्यवस्था बनाया जा सके।

अतः उपर्युक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दोनों पक्ष के विरूद्ध धारा 107 द0प्र0स0 की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ। साथ ही दोनों पक्ष को यह निदेश देता हूँ कि दिनांक 11/11/19 को पूर्वाहन 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण–पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि क्यों नहीं एक वर्ष तक शांति बनाये रखने के लिए 5,000.00 (पाँच हजार) रूपये का बन्ध–पत्र समतुल्य राशि को दो प्रतिभुतियों के साथ अर्पित करने का आदेश दिया जाय।

(हस्ताक्षर) 23/10/19
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

11/11/19 अन्य पक्ष को सूचना निबंधित डाक के माध्यम से भेजा गया। प्रथम पक्ष के नौ सदस्य का हाजरी है तथा समय का आवेदन है तथा क्र० सं० (6) धनन्जय ठाकुर (7) राजा ठाकुर (8) प्रवीण ठाकुर एवं (9) विशाल पाण्डेय का नाम विलोपन हेतु आवेदन है दिये। किया जाता है।
दिनांक 2/1/20 को रखें

S.D.M
Chas

4/1/2020 प्रथम पक्ष के द्वारा: सहायक का उपस्थित है
तीन सहायक का धारा 115 का आवेदन
6 तथा S/C हेतु समय का आवेदन
द्वि० पक्ष के द्वारा 6 S/C हेतु समय
का आवेदन है।

5,4,2 absent.

1st party – 115 petition against 3

6,7,8,9 expunge petition.

* 6 years back, father of 2nd party measured by order of SDM, land came in favour of 1st party.
* 2nd party wants ~~to~~ forcible possession.
* 1st party does not feel intimated, and there is no outbreak of any law and order situation.

<u>2nd party</u> –

party is not apprehensive of outbreak of any law & order
~~Matter~~ Issue is purely ~~of title~~. nature of title over a piece of la
~~Both the parties do not~~

Both the parties are not apprehensive over law & order situation. Issue is purely of nature of title. Matter is subjudice in the civil court. Under the condition of peace, ~~b~~ by both the parties case is dropped.

S Singh
4/1/20

13/01/20

23/01/20

Digitally signed by PRANJAL DHANDA
Date: 2025.08.11 13.44.40 +05:30
Location: 192.168.1.3

Scanned with OKEN Scanner